

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	पौष 6, सोमवार, शाके 1932—दिसम्बर 27, 2010 <i>Pausa 6, Monday, Saka 1932—December 27, 2010</i>	

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
श्रम विभाग
अधिसूचनाएं
जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ 5(6)न्यू. वे./श्रम/2002/पार्ट:—चूँकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 14-10-2010 द्वारा राजस्थान राज पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार- विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2008, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 26 मई, 2008 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूची "भाग-I" एवं "भाग-II" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती है :-

अनुसूची "भाग-I"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	2
1.	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2.	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3.	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4.	कॉटन-डाईंग, प्रिन्टिंग तथा वाशिंग फैक्ट्रीज
5.	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6.	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7.	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8.	पावरलूम फैक्ट्रीज
9.	प्रिंटिंग प्रेस
10.	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11.	तेल मिल (ऑयल मिल)
12.	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13.	वूल क्लनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14.	हैण्डलूम उद्योग

1	2
15.	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपान के नियोजन
16.	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17.	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18.	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19.	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20.	अभ्रक कर्मन्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22.	सड़को के संनिर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23.	ईट भट्टों के उद्योग में नियोजन
24.	सरकारी कार्यालयों में कंटीजेन्सी एण्ड वर्क्स (आकस्मिक) जिसमें निगम तथा मण्डलों में नियुक्त श्रमिक/कामगार भी शामिल है
25.	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
26.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27.	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
28.	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
29.	जट पट्टी उद्योग
30.	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
31.	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
32.	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स (जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो) में नियोजन।
33.	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
34.	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योग में नियोजन
35.	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
36.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
37.	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
38.	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
39.	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
40.	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेज इण्डस्ट्रीज में नियोजन
41.	एल.पी.जी. वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
42.	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स को-ऑपरेटिव सोसायटीज में नियोजन
43.	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
44.	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
45.	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46.	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
47.	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनों में सम्मिलित नहीं है
48.	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन
49.	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंग एजेन्सीज में नियोजन
50.	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के) में नियोजन
51.	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग में नियोजन
52.	बुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग में नियोजन

अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम
1.	कृषि में नियोजन — किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, जीवन धन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/ कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
1. अकुशल (unskilled)— बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर,, फर्श, धोबी, भिस्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, सहायक कुंजी रक्षक, साईकिल सवार, निर्वाहक, कुंजी वाहन चालक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी,, अधोभूमि मय प्रवाह स्वाच्छेक, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रौली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफटर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईंग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जींगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्क्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रौलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर—क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन गेटकीपर, कुक कैरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फिलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, बिन्नौवर्स, क्लीनर — होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100—100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)	3510 /—	135 /—
2. अर्द्धकुशल (semi-skilled)—मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर, सहायक पेन्टर्स, वे—मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिस्टेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिस्टेन्ट फिटर, अस्सिस्टेन्ट कारपेन्टर, अस्सिस्टेन्ट टर्नर, अस्सिस्टेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिस्टेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिस्टेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन,	3770 /—	145 /—

1	2	3
क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिस्टेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिस्टेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, कच्चा रोशिन मैन, पक्का रोशिन मैन, पानियामैन, बेल्टमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, छारकमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पेट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन काँज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, काँटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोजर, वेटमैन, सिल्कमैन, भू मापक, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, प्रयोगशाला सहायक तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)		
3. कुशल (skilled)-मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्ति तक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेन्ट, फिटर, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डेक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाउण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर टर्नर प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरुम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक्कस, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, फार्मैसिस्ट्स वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीलेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैंब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर,	4030 / -	155 / -

1	2	3
डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर, डाईंग मास्टर कन्टेनरर्स मैन्, फोरमैन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्ब्लर, स्क्रिन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ड मास्टर कूशिंग एण्ड पिग्मेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन् (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)		
उच्च कुशल (highly skilled)- स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)	5330 / -	205 / -

टिप्पणियाँ:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी श्रमिक की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कामगार के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. (क) अकुशल (unskilled) कार्य वह है जिसमें ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है या नहीं, सम्मिलित है।
(ख) अर्द्धकुशल (semi-skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य निर्देशन के अधीन पूरा किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है।
(ग) कुशल (skilled) कार्य वह है जिसमें कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है।
(घ) उच्च कुशल (highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यावहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
7. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होंगी।
8. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ 5(1)न्यू.वे./श्रम/आईआर/95-पार्ट:-चूँकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज पत्र में **“घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)”** में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (1)न्यू.वे./ श्रम/आईआर/95-पार्ट दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 द्वारा राजस्थान राज पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किये गये थे ।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार- विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2008, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 26 मई, 2008 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में **“घरों में नियोजित श्रमिक (Domestic worker)”** के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती है :-

क्र.सं.	नियोजन की प्रकृति	श्रमिकों के कार्य के घण्टे/अवधि (जिस घर में अधिकतम 4 सदस्य रह रहे हो)	प्रतिमाह देय न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपये में)
1.	बर्तन धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	504.00
2.	कपडे धोने का कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	504.00
3.	कपडे धोना-बर्तन धोना	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	504.00
4.	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	504.00
5.	अन्य घरेलू कार्य	60 मिनिट (अधिकतम प्रतिदिन)	504.00
6.	कपडे धोना, बर्तन धोना, घर की साफ-सफाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को स्कूल छोडना व लेकर आना इत्यादि घरेलू कार्य	एक दिन का कार्य	4030.00

नोट :-

- यदि अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लेखित कार्य की अवधि 60 मिनिट से अधिक हैं तो देय मजदूरी की गणना उसकी अनुपात में बढ़ जाएगी।
- एक दिन के कार्य से तात्पर्य अधिकतम 8 घण्टे तक कार्य होगा। अधिसमय (ओवरटाईम) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी की दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
- यदि परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से ज्यादा हैं तो अनुसूचि में दी गई दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय होगी परन्तु कार्य की अवधि वही रहेगी।
- उक्त उल्लेखित दरें न्यूनतम हैं, यदि पहले से दी जा रही मजदूरी अनुसूची में दी गई मजदूरी की दरों से ज्यादा हैं तो पहले से ही दी जा रही दरें ही प्रचलित रहेगी।
- यदि कोई श्रमिक पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता हैं तो दैनिक मजदूरी की गणना मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावगी।
- उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ.5(1)न्यू.वे./श्रम/आईआर/95-पार्ट:-चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज पत्र में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक संख्या प.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 14.10.2010 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (2) सपठित धारा 3 की उप धारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 24.5.2008, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 26 मई, 2008 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं" के स्थान पर "ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोड़कर)" में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती हैं:-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1	2	3	4
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना		
	(अ) साधारण मिट्टी में	2.00 घ.मी.	135.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी.	135.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी.	135.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी.	135.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी.	135.00
1.04	नींव में धाड़ला, कंकर या झाझारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी.	135.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बॉन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.05 व.मी.	135.00
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी.	135.00
1.07	नींव में सीमेंट कांक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी.	135.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कांक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी.	135.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी.	135.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना- मसाले में	1.00 घ.मी.	135.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंट-मसाले में	1.00 घ.मी.	135.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी.	135.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 व.मी.	135.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट	0.71 घ.मी.	135.00

1	2	3	4
1.15	मसाले में अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी.	135.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम (सैकिन्ड सोर्ट)	6.25 व.मी.	135.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	135.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	1.59 व.मी.	135.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	135.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81 व.मी.	135.00
1.21.	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00 व.मी.	135.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	135.00
1.23	पक्के ईट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09 व.मी.	135.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	135.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	2.86 व.मी.	135.00
1.26	सीमेंट कांकीट दड़ स्टील के साथ	2.78 व.मी.	135.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कंक्रीट डालना	0.4 घ.मी.	135.00
1.28	सेन्टरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	135.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 किग्रा.	135.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.27 व.मी.	135.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00व.मी.	135.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	22.50व.मी.	135.00
1.33	लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना	66.73किग्रा	135.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	135.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 व.मी.	135.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खडंजा लगाना	3.33 घ.मी.	135.00
1.37	फर्श में चूना कांकीट डालना	0.56 घ.मी.	135.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांकीट डालना	0.61 घ.मी.	135.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कांकीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	135.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	135.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	135.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	135.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	135.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	135.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	135.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67व.मी.	135.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50व.मी.	135.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00व.मी.	135.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52व.मी.	135.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00व.मी.	135.00
1.51	सीमेंट-कांकीट की जाली लगाना	3.6 व.मी.	135.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	135.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00व.मी.	135.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	135.00
1.55	सड़क कार्य पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड़डा ठीक करना (1) 150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	135.00

1	2	3	4
	(2) 300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	135.00
	(3) 600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	135.00
	(4) 900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	135.00
	(5) 1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	135.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	135.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा में केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1) साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी.	135.00
	(2) सख्त-चिकनी मिट्टी में	2.50 घ.मी.	135.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी.	135.00
	(4) मुलायम चट्टान	1.11 घ.मी.	135.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी.	135.00
1.58	पत्थरों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नामीय माप के	3.03 घ.मी.	135.00
	(2) 63 मि.मी. नामीय माप के	2.63 घ.मी.	135.00
	(3) 40 मि.मी. नामीय माप के	1.00 घ.मी.	135.00
	(4) 20 मि.मी. नामीय माप के	0.80 घ.मी.	135.00
	(5) 12 मि.मी. नामीय माप के	0.50 घ.मी.	135.00
	(6) 10 मि.मी. नामीय माप के	0.40 घ.मी.	135.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नामीय माप में	2.00 घ.मी.	135.00
	(2) 40 मि.मी. नामीय माप में	1.51 घ.मी.	135.00
	(3) 20 मि.मी. नामीय माप में	0.91 घ.मी.	135.00
	(4) 10 मि.मी. नामीय माप में	0.80 घ.मी.	135.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी.	135.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी.	135.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी.	135.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. तक ले जाना, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी.	135.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी.	135.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी.	135.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी.	135.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ.मी.	135.00
1.66	बेरद्दा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना।	3.33 व.मी.	135.00
	बिना मसाले के सूखा/सीमेन्ट बजरी 1 : 6	3.13 व.मी.	135.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी.	135.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने	0.61 घ.मी.	135.00

1	2	3	4
	सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु		
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50X0.90X1.2 मीटर माप की खड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना (1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.) (2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.) (3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	1.23 खड्डे बाड़ 1.0 खड्डे बाड़ 0.66 खड्डे बाड़	135.00 135.00 135.00
1.70	डोला फेंसिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो (1) साधारण मिट्टी में (2) सख्त मिट्टी में (3) कंकर-मूरम मिट्टी में	5.00 मी. 3.33 मी. 2.50 मी.	135.00 135.00 135.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	135.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना (1) साधारण मिट्टी में (2) सख्त चिकनी मिट्टी में (3) कंकर-मूरम मिट्टी में	22.00 गड्डे 20.00 गड्डे 10.00 गड्डे	135.00 135.00 135.00
1.73	पौधा रोपण करना (1) सामान्य जमीन में (2) पथरीली जमीन में	45.00 पौधा 37.00 पौधा	135.00 135.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00 मी.	135.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00 पौधा	135.00
1.76	पौधों की निडाई-गुडाई	111.00 पौधा	135.00
1.77	थांवला बनाना (1) सामान्य जमीन में (2) पथरीली जमीन में	77.00 नग 56.00 नग	135.00 135.00
1.78	उड़ते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	135.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना (1) साधारण मिट्टी में (2) कठोर मिट्टी में	2.10 घ.मी. 1.90 घ.मी.	135.00 135.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नामीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी.	135.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी.	135.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी.	135.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाइल में	2.00 घ.मी.	135.00
	स्वच्छता		
1.84	जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना	2.00 नग	135.00
1.85	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	135.00
1.86	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	135.00
1.87	जरती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित (1) 15 मि.मी. व्यास (2) 25 मि.मी. व्यास	28.57 मी. 22.22 मी.	135.00 135.00
1.88	पाषाण भाण्ड (S.W.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का	6.67 मी.	135.00

1	2	3	4
1.89	मसाला भरना, ट्रेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्ढे को।		
1.90	चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	135.00
	आर.सी.सी. का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	135.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	135.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	135.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	135.00
1.91	आर.सी.सी. के (Ring) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	9.66 रिंग	135.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	7.38 रिंग	135.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	5.95 रिंग	135.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची)	4.97 रिंग	135.00

टिप्पणी:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी श्रमिक की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होगी।
4. उक्त मजदूरी दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होंगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या प.5(1)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट-चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज-पत्र में "सभी प्रकार के अकाल राहत कार्यों पर नियोजन" में कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक संख्या प.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 14-10-2010 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (2) सपठित धारा 3 की उप धारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 24-5-2008, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 26 मई, 2008 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में "सभी प्रकार के अकाल राहत कार्यों पर नियोजन" के स्थान पर "अकाल व अन्य आपदा राहत कार्यों पर नियोजन" करते हुए इस नियोजन में

नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती हैं :-

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1	2	3	4
1.00	भवन निर्माण		
1.01	नींव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटर उठान तथा 50 मीटर तक फैकना		
	(अ) साधारण मिट्टी में	1.92 घ.मी.	135.00
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.67 घ.मी.	135.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.19 घ.मी.	135.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी.	135.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी.	135.00
1.04	नींव में धाड़ला, कंकर या झाझारा डालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी.	135.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनल हैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा मिट्टी में लगाना	5.00 वा.मी.	135.00
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी.	135.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की पत्थर की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.61 घ.मी.	135.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी को कंक्रीट 40 मि.मि. नामीय माप की मिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी.	135.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई गारा मसाले में	0.67 घ.मी.	135.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई चूना- मसाले में	0.67 घ.मी.	135.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों की चिनाई सीमेंट-मसाले में	1.00 घ.मी.	135.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचना में	3.23 घ.मी.	135.00
1.13	ईंटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 व.मी.	135.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोका चिनाई गारा/चूना/सीमेंट मसाले में	0.71 घ.मी.	135.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.50 घ.मी.	135.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई में अतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	135.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00 व.मी.	135.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग मसाल में लगाना	2.50 व.मी.	135.00
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69 व.मी.	135.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	2.00 व.मी.	135.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालना तथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	4.00 व.मी.	135.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गारा खडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18 व.मी.	135.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर के पच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09 व.मी.	135.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकार खडंजा मसाले में लगाना	5.56 व.मी.	135.00
1.25	90 मि.मी. औसत मोटा चूने का दड़ डालना, थप्पी देना, कूटना आदि	0.625 व.मी.	135.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड़ स्टील के साथ	2.78 व.मी.	135.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कंक्रीट डालना	0.27 व.मी.	135.00
1.28	सेन्टरिंग, शटरिंग	6.66 व.मी.	135.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 किग्रा.	135.00

1	2	3	4
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छत डालना	12.50व.मी.	135.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	25.00व.मी.	135.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छत डालना	20.00व.मी.	135.00
1.33	लोहे के गर्डर को काटना, चढ़ाना, लगाना	66.67किग्रा	135.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35 व.मी.	135.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.38 व.मी.	135.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों का खड्जा लगाना	3.33 घ.मी.	135.00
1.37	फर्श में चूना कंक्रीट डालना	0.56 घ.मी.	135.00
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कंक्रीट डालना	0.61 घ.मी.	135.00
1.39	50 मि.मी. मोटी सीमेंट कंक्रीट फर्श का कार्य	4.35 व.मी.	135.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपर लगाना	5.00 व.मी.	135.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	4.55 व.मी.	135.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाई सहित	3.13 व.मी.	135.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्कर्टिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	135.00
1.44	चूना प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	135.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर 25 एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	135.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने के लिए अतिरिक्त	16.67व.मी.	135.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50व.मी.	135.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00व.मी.	135.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52व.मी.	135.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00व.मी.	135.00
1.51	सीमेंट-कांकीट की जाली लगाना	3.71 व.मी.	135.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00व.मी.	135.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30 सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00व.मी.	135.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईप लगाना	16.67 मी.	135.00
	सड़क कार्य		
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टा लगाना, गड़्डा ठीक करना		
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00 पेड़	135.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00 पेड़	135.00
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57 पेड़	135.00
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	135.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी.लपेट वाले	0.29 पेड़	135.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी.लपेट वाले	0.20 पेड़	135.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा मं केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथा दरेसी करना		
	(1)साधारण मिट्टी	4.00 घ.मी.	135.00
	(2)सख्त-चिकनी मिट्टी में	2.50 घ.मी.	135.00
	(3)कंकर मिट्टी में	1.82 घ.मी.	135.00
	(4)मुलायम चट्टान	1.05 घ.मी.	135.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान से पत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71घ.मी.	135.00
1.58	पत्थरों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 80 मि.मी. नामीय माप के	3.03 घ.मी.	135.00
	(2) 63 मि.मी. नामीय माप के	2.63 घ.मी.	135.00
	(3) 40 मि.मी. नामीय माप के	1.00 घ.मी.	135.00
	(4) 20 मि.मी. नामीय माप के	0.80 घ.मी.	135.00
	(5) 12 मि.मी. नामीय माप के	0.50 घ.मी.	135.00
	(6) 10 मि.मी. नामीय माप के	0.40 घ.मी.	135.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नामीय माप में तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नामीय माप में	2.00 घ.मी.	135.00
	(2) 40 मि.मी. नामीय माप में	1.51 घ.मी.	135.00

1	2	3	4
	(3) 20 मि.मी. नामीय माप में	0.91 घ.मी.	135.00
	(4) 10 मि.मी. नामीय माप में	0.80 घ.मी.	135.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढ़ाना	5.00 घ.मी.	135.00
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी.	135.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	6.44 घ.मी.	135.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सड़क के किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. तक ले जाना, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी.	135.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी.	135.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी.	135.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड में ग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	4.17 घ.मी.	135.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर-ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ.मी.	135.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाई में, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ों में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्त मिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	2.38 घ.मी.	135.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	6.25 घ.मी.	135.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए कंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ.मी.	135.00
	सामाजिक वानिकी		
1.69	1.50X0.90X1.2 मीटर माप की खड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.25 खड्डे बाड़	135.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.11 खड्डे बाड़	135.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.80 खड्डे बाड़	135.00
1.70	डोला फेंसिंग जिसमें नीचे का आधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. और उंचाई 1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	135.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	135.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	135.00
1.71	उपलब्ध पत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.02 घ.मी.	135.00
1.72	45X45X45 से.मी. माप के गड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00 गड्डे	135.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00 गड्डे	135.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00 गड्डे	135.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00 पौधा	135.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00 पौधा	135.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00 मी.	135.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00 पौधा	135.00
1.76	पौधों की निडाई-गुडाई	111.00 पौधा	135.00
1.77	थांवला बनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00 नग	135.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00 नग	135.00

1	2	3	4
1.78	उड़ते हुए रेत टीलों पर 50 मी. दूरी तक से सनिया छीप उखाड़ कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	135.00
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. परत में डालना, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलर से मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.04 घ.मी.	135.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.85 घ.मी.	135.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नामीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी.	135.00
1.81	15 से 30 से.मी. मोटे हथोड़े से तरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी.	135.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुली मोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी.	135.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुले हुए बेलास्ट-ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाइल में	2.00 घ.मी.	135.00
	स्वच्छता		
1.84	जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना	2.00 नग	135.00
1.85	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	135.00
1.86	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्य मय फिटिंग	3.33 नग	135.00
1.87	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित		
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	135.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	135.00
1.88	पाषाण भाण्ड(S.W.) पाईप का डालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, ट्रेन्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	135.00
1.89	चाइना क्ले की चमकीली टाईल लगाना	6.67 व.मी.	135.00
1.90	आर.सी.सी. का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए	3.57 कर्व	135.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं के लिए	2.27 कर्व	135.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.61 कर्व	135.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14 कर्व	135.00
1.91	आर.सी.सी. के (Ring) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	12.50 रिंग	135.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	10.00 रिंग	135.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से. मी. ऊंची)	6.67 रिंग	135.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. ऊंची)	5.00 रिंग	135.00

टिप्पणी:-

- इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी श्रमिक की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके सम्बन्ध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
- अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होगी।

4. इस अधिसूचना में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उक्त नियोजन के अन्तर्गत किसी श्रमिक द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" में कार्य करने की स्थिति में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" में प्रचलित कार्य की मात्रा तथा दरें लागू होंगी।
5. उक्त मजदूरी दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होंगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ.5(6)न्यू.वे./श्रम/आईआर/2002/पार्ट:-राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में "किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभিনিर्माण नियोजन" के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक संख्या प.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 14-10-2010 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के द्वारा की गई थी और समय-समय पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों की अधिसूचनाएं जारी की जाती रही है, जिसके क्रम में पूर्व अधिसूचना दिनांक 30.9.2010, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी और भविष्य में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर जारी की जाती रहेगी।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 4 उपधारा (1) के (i) के अनुसरण में मजदूरी की आधारभूत दरों (कॉलम 4) में संशोधन करते हुए व अधिसूचना दिनांक 30.9.2010 में प्रकाशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की राशि को यथावत रखते हुए अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप धारा (2) सपठित धारा 3 की उप धारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 30.9.2010, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी व अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000, का अधिकरण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में "किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभিনিर्माण नियोजन" में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती हैं। इस अधिसूचना में पूर्व अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में जून, 2010 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3858 को ध्यान में रखते हुए कॉलम संख्या 5 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दर्शाया गया है, जो भविष्य में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर पूर्व की भांति जारी की जाती रहेगी।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रु० में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी)	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रु० 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 23.75 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 96.43 प्रति एक हजार बीड़ी

1	2	3	4	5	6
	है) अभिनिर्माण नियोजन				
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रु0 72.68 प्रति एक हजार बंडल	रु0 23.75 प्रति एक हजार बंडल	रु0 96.43 प्रति एक हजार बंडल
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्क्स)	रु0 2648.76 प्रतिमाह	रु0 1855.00 प्रतिमाह	रु0 4503.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रु0 2254.89 प्रतिमाह	रु0 1855.00 प्रतिमाह	रु0 4109.76 प्रतिमाह
		5. अन्य श्रमिक— तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रु0 2106.00 प्रतिमाह	रु0 1855.00 प्रतिमाह	रु0 3961.00 प्रतिमाह
		6. चौकीदार, वाचमैन	रु0 2167.90 प्रतिमाह	रु0 1855.00 प्रतिमाह	रु0 4022.90 प्रतिमाह

स्पष्टीकरण :-

- उक्त अधिसूचना को राजस्थान राज-पत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
- दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
- (क) अकुशल कर्मचारी:-वह है जो ऐसे सीधे कार्य करता है, जिसमें निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायी परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा इसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिए।
(ख) अर्द्धकुशल कर्मचारी:-वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उससे उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उससे सापेक्षिक रूप से ऐसे छोटे काम, जो उसे सौंपे जाये, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो। इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।
(ग) कुशल कर्मचारी:-वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होंगी।
- 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
- उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ.5(6)न्यू.वे./श्रम/आईआर/2002/पार्ट:-राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में **“किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजन”** के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक संख्या प.5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दिनांक 14.10.2010 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपटित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी और समय-समय पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों की अधिसूचनायें जारी की गई हैं, जिसके क्रम में पूर्व अधिसूचना दिनांक 30.9.2010, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी और भविष्य में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर जारी की जाती रहेगी।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 4 उपधारा (1) के (i) के अनुसरण में मजदूरी की आधारभूत दरों (कॉलम 4) में संशोधन करते हुए व अधिसूचना दिनांक 30.9.2010 में प्रकाशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की राशि को यथावत रखते हुए अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप धारा (2) सपटित धारा 3 की उप धारा 1 खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 30-9-2010, जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी व अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात् राजस्थान राज्य में **“किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजन”** में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से पुनरीक्षित करती हैं। इस अधिसूचना में पूर्व अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2010 में जून, 2010 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3858 को ध्यान में रखते हुए कॉलम संख्या 5 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दर्शाया गया है, जो भविष्य में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर जारी की जाती रहेगी।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह/प्रति दिन रू0 में)	कुल मजदूरी (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन	1. अकुशल कामगार क बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट,	रू0 2106/- प्रति माह	रू0 1855/- प्रति माह	रू0 3961/- प्रति माह

1	2	3	4	5	6
	(खानों के बाहर)		स्वीपर, पत्थर ढोने वाला		
		ख	मददगार, जरीबी	रु0 2137.25 प्रतिमाह	रु0 3992.25 / - प्रतिमाह
		ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो)	रु0 2167.90 प्रतिमाह	रु0 4022.90 / - प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार मुंशी, भू-सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो)	रु0 2255 / - प्रतिमाह	रु0 4110.00 / - प्रतिमाह
		3. क	कुशल कामगार मिस्त्री, बढई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन	रु0 2383 / - प्रतिमाह	रु0 4238.00 / - प्रतिमाह
		ख	मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर	रु0 2656.00 / - प्रतिमाह	रु0 4511.00 / - प्रतिमाह
		ग	यांत्रिक, आन्ध्रिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रु0 2656.00 / - प्रतिमाह	रु0 4511.00 / - प्रतिमाह
2.	ग्लास एवं चार्इनावेयर	1.	अकुशल कामगार	रु0 2106 / - प्रतिमाह	रु0 3961 / - प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार	रु0 2255 / - प्रतिमाह	रु0 4110 / - प्रतिमाह
		3.	कुशल कामगार	रु0 2383 / - प्रतिमाह	रु0 4238 / - प्रतिमाह
3.	नमक उद्योग	क	निर्माण कार्य (मैन्यूफैक्चरिंग)- क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फ़ैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से	रु0 2106 / - प्रतिमाह	रु0 3961 / - प्रतिमाह

1	2	3	4	5	6
			चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण		
		ख	निकासी एवं भण्डारण		
		1.	ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे (100 क्यूबिक फीट)	रु0 33. 55/- प्रति 104.25 क्यू. मीटर्स	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		2.	ढेर लगाना ,ढुलाई या बोरी	रु0 2106/- प्रतिमाह	रु0 3961/- प्रतिमाह
		ग	प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले		
		1.	कटाई एवं भराई	रु0 222. 75/- प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रु0 1855/- प्रति माह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		2.	तुलाई एवं लदाई	रु0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		3.	सिलाई	रु0 52.35/- प्रति 156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रु0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		घ	सामान्य		
		1.	पम्पिंग कामगार मिस्त्री	रु0 117.57 प्रतिदिन	रु0 71.34 प्रतिदिन
4.	ऊनी गलीचे	2.	अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।	रु0 81/- प्रतिदिन	रु0 71.34 प्रतिदिन
		3.	बंधेवाल	रु0 327. 41/- प्रति मीट्रिक टन (2. 75 व्यक्ति)	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		1.	टाईम रेट मेन्यूअल	रु0 2106/-	रु0 3961/-

1	2	3	4	5	6
	बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन	ऑक्कूपेशनल मिनिमम टाइम रेट	प्रतिमाह या 81 रु0 प्रतिदिन	1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	प्रतिमाह या रु0 152.34 प्रतिदिन
		2. पीस रेट ऑक्कूपेशन			
	क	यार्न ओपनर मिल स्पून 40 काउन्ट तक	रु0 4.05 प्रति किलो (हेण्ड स्पून 30 किलो तक) रु0 8.10 प्रति किलो	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	—
		मिल स्पून 70 काउन्ट तक	रु0 9.25 प्रति किलो	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	
		मिल स्पून 70 काउन्ट से अधिक	रु0 10.38 प्रति किलो	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	
	अ	स्पिनर वूल स्पून	रु0 23.29 प्रति किलो	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	
	ब	वाशरमैन	रु0 2678.00 प्रति माह	रु0 1855/- प्रतिमाह	रु0 4533/- प्रतिमाह
	स	ड्राईवर	रु0 2663.00 प्रति माह	रु0 1855/- प्रतिमाह	रु0 4518/- प्रतिमाह
	द 1.	वीयर प्लेन कारपेट (एक रंग) 40,000 नॉट्स तक प्रति वर्ग गज	रु0 141.72 प्रति वर्गमीटर	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	

1	2	3	4	5	6
		2.	40000 नॉट्स से अधिक के नमूनेदार गलीचे	रु0 144.57 प्रति वर्गमीटर	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		3.	15 रंगों वाले 30 हजार नॉट्स तक	रु0 227.68 प्रति वर्गमीटर	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		4.	20 रंगों वाले 30 हजार नॉट्स तक	रु0 275.33 प्रति वर्गमीटर	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		5.	20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉट्स	रु0 428.83 प्रति वर्गमीटर	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		च	क्लीनर्स	रु0 2504.00 प्रति माह	रु0 4359/- प्रतिमाह
			(4 ग 4) नॉट्स		
		छ	एम्बेजर्स	रु0 2752/- प्रतिमाह	रु0 4607/- प्रतिमाह
5.	पापड़ उद्योग	ज	कारपेट मिस्त्री	रु0 2541/- प्रतिमाह	रु0 4396/- प्रतिमाह
		1.	1.6 इंच साईज तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रु0 15.11	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		2.	2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रु0 19.62	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन
		3.	8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रु0 22.60	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34

1	2	3	4	5	6
				प्रतिदिन	
		4. 10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापाड़ प्रति सैकड़ा	रु0 30.19	रु0 1855/- प्रतिमाह या रु0 71.34 प्रतिदिन	
		5. पापड़ बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा।			

स्पष्टीकरण :-

- उक्त अधिसूचना को राजस्थान राज-पत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
- दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
- (क) अकुशल कर्मचारी:- वह है जो ऐसे सीधे कार्य करता है, जिसमें निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायी परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा इसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिए।
(ख) अर्द्धकुशल कर्मचारी:- वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उससे उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उससे सापेक्षिक रूप से ऐसे छोटे काम, जो उसे सौंपे जाये, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो। इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।
(ग) कुशल कर्मचारी:- वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होंगी।
- 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
- उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होगी।

जयपुर, दिसम्बर 27, 2010

संख्या एफ.5(6)न्यू.वे./श्रम/आईआर/2002/पार्ट:- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं.-11) की धारा 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-8-2010 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग प्रथम को संशोधित करते हुए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ **“विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन”** को अनुसूची के भाग प्रथम में सम्मिलित कर लिया गया है।

चूँकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राज पत्र में “विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन” में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (1)न्यू.वे./श्रम/आईआर/95-पार्ट दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 द्वारा राजस्थान राज पत्र विशेषांक भाग -1 (ख) दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित किये गये थे।

चूँकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार- विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उप-धारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा 1 खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार **“विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन”** के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से निर्धारित करती है :-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दर (रूपये में)
1	विक्रय संवर्द्धन (विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 में यथा सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योग में) कार्य में नियोजन	उच्च कुशल:- विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव (एम.आर.)	205/- रुपये प्रतिदिन या 5,330/- रुपये प्रतिमाह

टिप्पणियाँ:-

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी श्रमिक की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कामगार के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों से अधिक कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
7. (क) उच्च कुशल (highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णतया की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।
8. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों पर भी लागू होंगी।
9. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 1 जनवरी, 2011 से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अंजना दीक्षित,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन शासन उप सचिव (श्रम),
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।